न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 27/2020 (2020/00053)

1. पूरणमल पुत्र श्योदान जाति हरिजन निवासी सावर स्थायी पता पटवार घर के पास सावर तहसील सावर जिला अजमेर

---वादीगण

♠ बनाम ♠

1. घनश्याम पुत्र स्व.श्योदान जाति हरिजन नि.सावर तह. सावर जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर जिला अजमेर राज.

--- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53,188राज.काश्तकारी अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक 13.12.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत पेश किया ,कि ग्राम सावर तहसील सावर जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत 2073–76 की खाता स. नया–पुराना 353–1384 किता 6114/1500 कुल रकबा 0.94 किस्म बारानी2 एंव ग्राम बिसुन्दनी की जमाबन्दी स. 2073–76 के खाता स. नया–पुराना 47–7 के किता 3 रकबा 0.72 है. उपरोक्त कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादी/प्रतिवादी स. 1 के खाते में दर्ज चली आ रही है। प्रतिवादी स. 1 ने दिनांक 1.3.2020 को वादी जब खेत पर गया तो कहा कि बंटवारा नहीं करूगां व लाटा बांटा दुगां। कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करना शुरू कर दिया जिसकों पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। संयुक्त रूप में आराजी का मिटस एण्ड बाउन्डस के आधार पर विभाजन किया जाना आवश्यक है । प्रतिवादी स. 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

पक्षकार आज प्रशासन गांवो के संगं अभियान कुशायता में उपस्थित हुये , तथा उन्होने बंटवारा किये जाने में सहमति प्रदान की ।

पक्षकार को सुना गया । पेरोकार सरकार को प्रारम्भिक डिकी जारी करने में कोई आपत्ति नहीं है।

मेने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया । पक्षकारान को सुना । पेरोकार सरकार को बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने व प्रारम्भिक डिकी जारी करने में कोई आपत्ति नहीं है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। ग्राम सावर /बिसुन्दनी की वादपत्र में अंकित आराजी का बंटवारा प्रस्ताव मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर राजस्व मैन्युअल के के नियम 18–21 की पालना में तैयार कर राजस्व मण्डल द्वारा प्रेषित परिपत्र के अनुसरण में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी स. 1 का 1/2 हिस्सा दर्शित करते हुये अलग–अलग रंगों से दर्शाया जावें । इस आशय का प्रारम्भिक डिकी पर्चा जारी किया जावें । खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें।

निर्णय मजमें आम कुशायता केम्प प्रशासन गांवों कें संग 2021 में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:46:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूल वाद में प्रारम्भिक डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और7)

उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी:– विकास पंचोली (आर.ए.एस)

उनवान

पूरणमल पुत्र श्योदान जाति हरिजन निवासी सावर स्थायी पता पटवार घर के पास सावर तहसील सावर जिला अजमेर

———वादीगण

♠ बनाम ♠

1. घनश्याम पुत्र स्व.श्योदान जाति हरिजन नि.सावर तह. सावर जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर जिला अजमेर राज.

——— प्रतिवादीगण

वाद पत्र:– <u>अंतर्गत धारा 53,188राज.काश्तकारी अधिनियम</u>

मुकदमा नम्बर:– 27/2020 (2020/00053)

निर्णय दिनांक:– 13.12.2021

ग्राम सावर /बिसुन्दनी की वादपत्र में अंकित आराजी का बंटवारा प्रस्ताव मिट्रस एण्ड बाउण्डस के आधार पर राजस्व मैन्युअल के के नियम 18–21 की पालना में तैयार कर राजस्व मण्डल द्वारा प्रेषित परिपत्र के अनुसरण में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी स. 1 का 1/2 हिस्सा दर्शित करते हुये अलग–अलग रंगों से दर्शाया जावें । खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें।

निर्णय की प्रारम्भिक डिक्री जारी कर मजमें आम कुशायता केम्प प्रशासन गांवों के संग 2021 में सुनायी गयी।

उपखण्ड अधिकारी केकडी

एवं पदेन …र——

उपखण्ड अधिकारी केकडी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:46:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner